

:: सूचना ::

अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर।

सीमांकन वाद संख्या ...09/117-18.....

प्रेषित,

1. दशरथ प्रधान, पिता- स्व० देवीलाल 2. सुधाकर प्रधान, पिता- केशव प्रधान 3. शैलेश प्रधान
पिता- स्व० अयोध्या प्रधान

चौहदीदारों का नाम

उत्तर :- दशरथ प्रधान, पिता- स्व० देवीलाल प्रधान

दक्षिण :- डुंगरी

पूर्व :- 1. सुधाकर प्रधान एवं सर्वेश्वर प्रधान पिता- स्व० केशव प्रधान 2. राजकुमार प्रधान,
पिता- स्व० रामलाल प्रधान 3. मकरध्वज प्रधान, पिता- स्व० शिवलाल प्रधान

पश्चिम :- 1. कुडो प्रधान, पिता- स्व० सुरेन्द्र प्रधान 2. शैलेश प्रधान, पिता- स्व० अयोध्या
प्रधान

सभी मौजा हातनाबेड़ा थाना 365 जिला- सरायकेला-खरसावाँ।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि 1. दशरथ प्रधान, पिता- स्व० देवीलाल 2. सुधाकर
प्रधान, पिता- केशव प्रधान 3. शैलेश प्रधान पिता- स्व० अयोध्या प्रधान निवासी हातनाबेड़ा ने मौजा
हातनाबेड़ा वार्ड नं० खाता नं० 19, प्लॉट नं० 485, 486 रकवा क्रमशः 0.13, 0.16
एकड़ कुल रकवा 0.29 एकड़ भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त भूमि का दिनांक 13.
12.2017 को 10:00 बजे सीमांकन करने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है।

अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर आपकी उपस्थिति आवश्यक है। यदि आप उक्त तिथि
को अनुपस्थित रहते हैं तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति में सम्पन्न करा दी जाएगी।

आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से सूचना जारी किया
जाएगा।


अंचल अधिकारी,
राजनगर।

राजनगर।

प्रतिलिपि :- ग्राम प्रधान, हातनाबेड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अमीन, राजनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राजनगर अंचल हल्का कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

12/12/17
am

01/


12/12/17


अंचल अधिकारी,
राजनगर।

राजनगर।



श्रीवा में

अंचल अधिकारी
राजमगर

विषय :- सीमांकन वाद संख्या-09/17-18 का प्रतिवेदन/

महाशया,

आदेशानुसार मीजा हातनाबडा थाना नं०-365 आवेदन प्रदेश अध्यापक पिता- एन० ट्रेवी लाल 2. सुधाकर अध्यापक पिता केशव अध्यापक 3. - शैलेश अध्यापक पिता- एन० अर्पाध्या अध्यापक शवाता सं०- 19 फॉट सं०- 485, 486 रकबा क्रमशः - 0.13, 0.16 एकड़ कुल रकबा 0.29 एकड़ भूमि का सीमांकन दिनांक- 13/12/2017 के दौरान स्थल में पहुँचने के उपरांत पता चला कि आवेदकों ने आवेदन, भूमि का आपसी बँटवारा करवाने के लिए किया गया है तथा भूमि के चारों ओर किसी प्रकार का सीमांकन विवाद नहीं होने के कारण सीमांकन नहीं किया गया।

अतः अग्रोत्तर कारवाई हेतु वैधित।

23/12/2017

अ० अमीन
राजमगर